सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/ 591

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

212, सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 01 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सदस्य (नदी प्रबंध), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26 जून, 2024 को आयोजित 156वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 156th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 26 June, 2024 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 26 जून, 2024 को अपराह्न 5.00 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 156वीं बैठक का कार्यवृत आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

संलग्नक : यथोक्त

(ए.सी. मल्लिक)
निदेशक (स्थापना-3) एवं राजभाषा प्रभारी

सेवा में,

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.06.2024 को अपराह्न 5.00 बजे आयोजित 156वीं बैठक का कार्यवृत्त

सदस्य (नदी प्रबंध), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 156वीं बैठक दिनांक 26.06.2024 को अपराह्न 5.00 बजे आयोजित की गई।

सर्वप्रथम सदस्य (नदी प्रबंध) महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 156वीं बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा के उपरांत केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं आयोग (मुख्यालय) में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में वृद्धि की समीक्षा की जाएगी।

इसके बाद, मुख्य अभियंता (मानव संसाधन प्रबंध) ने इस बैठक के अध्यक्ष (सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ.) महोदय की अनुमति से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा के समुचित कार्यान्वयन में काफी सुधार हुआ है। परंतु, हमें इसमें और व्यापक सुधार करने के लिए सभी संभव उपाय करने की आवश्यकता है। तदोपरांत, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) ने वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी से बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कहा।

तत्पश्चात्, इस बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव की भूमिका का निर्वहन करते हुए वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने इस बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बताया कि पिछली बैठक 28 मार्च, 2024 को हुई थी और उसके कार्यवृत्त 04 अप्रैल, 2024 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित कर दिए थे। इस संबंध में कहीं से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए। तत्पश्चात, सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा प्रारंभ की।

1. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने कहा कि 31.03.2024 को समाप्त तिमाही में भी राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में पहले से सुधार हुआ है और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, हिंदी कार्यशाला एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की गई है। इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंताओं को निदेश दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन में निरंतर प्रयास करें एवं इस संबंध में अब तक हुई प्रगति से संतुष्ट न होकर शतप्रतिशत कार्य हिंदी में करने हेतु सभी संभव उपाय करें।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग, कें.ज.आ.)

2. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी आगे कहा कि केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर आयोग की आंतरिक शब्दावली अपलोड कर दी गई है। साथ ही, आयोग की वेबसाइट पर राजभाषा कार्यान्वयन को और सुकर बनाने हेतु 'राजभाषा कॉर्नर' बनाया गया है जिसमें राजभाषा हिंदी से संबंधित सूचना तथा आवश्यक पत्रों/मसौदों को रखा गया है ताकि देश भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय उसका समुचित लाभ उठा सकें। इस संबंध में सभी सदस्यों ने राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए उपायों की सराहना की। इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया जाए ताकि केंद्रीय जल आयोग के मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालय इससे पूर्णत: अवगत हो सकें और इसका लाभ उठा सकें।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालय)

3. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन/रिवाइवल तथा उन पदों पर भर्ती एवं इस प्रक्रिया के पूरी होने तक वार्षिक आधार पर कंसल्टेंटों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के दौरान, इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने स्थापना-7 अनुभाग को निदेश दिया कि मंत्रालय से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध करें और राजभाषा विभाग से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त करें।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग, के.ज.आ.)

4. केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के हिंदी अनुभाग में नई भर्ती के माध्यम से सेवा ज्वाइन करने वाली कनिष्ठ अनुवादक के संबंध में चर्चा के दौरान, इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए।

(कार्रवाईः स्थापना-9 अनुभाग, के.ज.आ.)

5. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा के दौरान, यह पाया गया है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा धारा 3(3) और नियम-5 अनुपालन किया गया है। इस संबंध में इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में हुई प्रगति को कायम रखने तथा भविष्य में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु पत्र जारी किया जाए।

(कार्रवाईः सभी क्षेत्रीय कार्यालय/हिंदी अनुभाग)

6. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट को नए सिरे से अद्यतित/द्विभाषीकरण करने की आवश्यकता है। इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया। साथ ही, राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु उपयोगी वीडियो/वीडियो लिंक आयोग की वेबसाइट पर 'राजभाषा कॉर्नर' में

उपलब्ध कराएं।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

7. केंद्रीय जल आयोग में हिंदी में टिप्पणी लिखने के संबंध में चर्चा के दौरान इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि ई-ऑफिस में हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या प्राप्त करने को सहज बनाने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएं तथा यदि आवश्यक हो तो एनआईसी से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त करें। साथ ही, उन्होंने एसएमडी निदेशालय को यह भी निदेश दिया कि केंद्रीय जल आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम ई-ऑफिस में हिंदी में दर्शाने हेतु कार्वाही की संभावना झंचे और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

अध्यक्ष महोदय ने अंत में केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी उपस्थित अधिकारियों को पुन: निदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक सीमित न रहकर हम सभी अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने का भरसक प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध - 'क'

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 26 जून, 2024 को अपराह्न 5.00 बजे आयोजित 156वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	पी.एम.स्कॉट, सदस्य (नदी प्रबंध), केंद्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	पदमा दोर्जे, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), के.ज.आ.	सदस्य
3.	शेखरेन्दु झा, निदेशक, स्थापना-1, के.ज.आ.	सदस्य
4.	आनंद चन्द्र मल्लिक, निदेशक (स्थापना-3), के.ज.आ.	सदस्य
5.	अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक, पीसीपी/प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
6.	भूपिन्द्र सिंह, निदेशक, तकनीकी समन्वय, के.ज.आ.	सदस्य
7.	सुनील कुमार, निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
8.	सुनील कुमार-2, निदेशक, ज.आ.एवं परि.(सम.),के.ज.आ.	सदस्य
9.	राकेश टोटेजा, निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
10.	अनिल कुमार सिंह, निदेशक (प्रशासन), के.ज.आ.	सदस्य
11.	राजीव कुमार शर्मा, उप निदेशक, अभिकल्प एवं अनु.(सम.), निदे., के.ज.आ.	सदस्य
12.	अमिताभ तिवारी, उप निदेशक, एसएमडी निदे., के.ज.आ.	सदस्य
13.	आशा डुडेजा, अनुभाग अधिकारी, लेखा-3 अनुभाग, के.ज.आ.	सदस्य
14.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
2.	इंद्रा एस., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
3.	अतुल कुमार खरे, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
4.	पुनीत पाण्डेय, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिंदी अनुभाग